

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
लखनऊ।

पत्रांक सं०-एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/हीमो०/2016-17/5816

दिनांक 27-9-16

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में एफ०एम०आर० मद सं० बी० 14.3 पर के०जी०एम०यू०, लखनऊ में हीमोफिलिया केयर सेन्टर हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबन्ध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य कार्य योजना वर्ष 2016-17 में भारत सरकार द्वारा एफ०एम०आर० मद सं० बी० 14.3 पर के०जी०एम०यू०, लखनऊ में हीमोफिलिया केयर सेन्टर में संविदा के आधार पर निम्नलिखित तालिका के अनुमसार मानव संसाधन के मानदेय हेतु रू० 5.67 लाख की धनराशि अनुमोदित की गई है—

क्रम सं०	पदनाम	स्वीकृत मानदेय	अनुमोदित धनराशि (मानदेय 06 माह हेतु)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	जूनियर रेजीडेन्ट	41900.00	251400.00	251400.00
2	फिजियोथेरेपिस्ट	20000.00	120000.00	120000.00
3	काउन्सलर	12000.00	72000.00	72000.00
4	कम्प्यूटर आपरेटर	Lumsum	123000.00	123000.00
5	अटेन्डेन्ट			
कुल योग				566400.00

- उपर्युक्त के क्रम में रू० 5.67 लाख की धनराशि के०जी०एम०यू०, लखनऊ को स्थानान्तरित करने हेतु जिला स्वास्थ्य समिति, लखनऊ के खाते में अवमुक्त की जा रही है।
- अवमुक्त धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति के खाते से के०जी०एम०यू०, लखनऊ को प्राथमिकता के आधार पर स्थानान्तरित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
- आपके स्तर से अवमुक्त की गयी धनराशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्युरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।

7. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक
तददिनांक

पत्रांक सं०- एस०पी०एम०यू०/एन०सी०डी०/हीमो०/2016-17/

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, उ०प्र० शासन।
3. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०।
4. वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
5. जिलाधिकारी, लखनऊ, उ०प्र०।
6. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेन्ट ऑफ क्लीनिकल हीमेटोलोजी एण्ड मेडिकल ओन्कोलोजी, के०जी०एम०यू०, लखनऊ को इस आशय से कि अवमुक्त की जा रही धनराशि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति सूचना इस कार्यालय एवं जिला स्वास्थ्य समिति, लखनऊ को नियमित रूप से प्रेषित किया जाये।
7. जिला कार्यक्रम प्रबन्धक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का अनुश्रवण करते हुये प्राथमिकता के आधार पर के०जी०एम०यू०, लखनऊ को स्थानान्तरित कराना सुनिश्चित करें।
8. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम० को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०एच०एम० की वेबसाइट-www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(डा० ए० बी० सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, एन०सी०डी०